डीजी परिपत्र संख्या-39 /2023

विजय कुमार
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ

दिनांक : लखनऊः अक्टूबर 06 ,2023

प्रिय महोदय/महोदया,

अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश द्वारा CCTNS के आपराधिक डाटा को मैप पर Plot करते हुये वर्ष-2020, 2021 तथा 2022 के माह अक्टूबर की अंधेरी रात (15 दिन) का समय रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक का चोरी, नकबजनी तथा लूट का डेटा उपलब्ध कराया गया है। यह डेटा उपलब्ध कराये गये लिंक से Gmail ID के माध्यम से लॉगिन करके Access किया जा सकता है। लॉगिन करने के उपरान्त My Maps में अपलोड किये गये डेटा को बाये तरफ दिये गये विकल्प का चयन करके आवश्यकतानुसार मैप पर देखा जा सकता है।

- All Theft Oct
- Trend Theft Oct
- All Burglary Oct
- Trend Burglary Oct
- All Loot Oct

उपरोक्त डाटा को चेक बाक्स पर आवश्यकतानुसार क्लिक करके मैप देखा जा सकता है। मैप को Zoom In व Zoom Out किया जा सकता है।

(गूगल लिंक- http://drive.google.com/open?id=1POAnc829o9ghDBo8AX42_Nbc3yusy78&usp=sharing_eip_m)

प्रदेश स्तर पर उक्त आपराधिक घटनाओं के डेटा का Trend Analysis (प्रवृत्ति विश्लेषण) करने पर अपराध का एक पैटर्न भी प्राप्त होता है। इन घटनाओं के समय स्थान आदि के विश्लेषण के आधार पर Predictive Policing करते हुये भविष्य में होने वाले अपराध के रोकथाम में मदद मिलेगी। प्रत्येक जनपद में ऐसे स्थानों को चिन्हित कर लिया जाए, जहाँ इस प्रकार की अनेकों घटनाएं घटित हुई हों। पुलिस कमिश्नरेट/जनपद अपने स्तर पर भी डेटा का विश्लेषण करेगें, तो उक्त अपराध का एक Trend एवं Pattern परिलक्षित होगा। इस आधार पर भविष्य में होने वाले अपराध के सम्बन्ध में अनुमान लगा पाना सम्भव है, जिससे एक कार्ययोजना बनाकर अपराध की रोकथाम की रणनीति विकसित की जा सकती है। अपराध नियंत्रण तथा अपराध के रोकथाम के हेतु निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैः-

- प्रत्येक जनपद में थानावार अपराधिक घटनाओं के हाट स्पाट चिन्हित कर लिये जाएं। इनकी मैपिंग करते हुए प्रभावी गस्त/फुट पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाए।
- अपराध की रोकथाम हेतु चिन्हित किये गये स्थानों पर यथा सम्भव सीसीटीवी कैमरों का व्यवस्थापन सुनिश्चित कराया जाए, जिससे उस स्थान पर भ्रमण करने वाले अपराधियों एवं सम्भावित घटना को रोका जा सके।

- संवेदनशील स्थानों पर स्थायी पुलिस पिकेट की भी व्यवस्था करायी जाए।
- सुदृढ गस्त प्रणाली सुनिश्चित की जाए तथा नियमित रूप से गस्त मिलान कराया जाए।
- डायल-112 के पी0आर0वी0 वाहनों का क्राइम मैपिंग के अनुसार रूट चार्ट को पुर्ननिर्धारित किया जाए। इनके संचालन को इस प्रकार से समायोजित किया जाए कि घटना के सम्भावित समय अन्तराल में जनपद के सभी संवेदनशील स्थान आच्छादित हो सके।
- संवेदनशील राजमार्गो पर गस्त हेतु पर्याप्त संख्या में पेट्रोलिंग वाहन लगाये जाएं।
- उक्त व्यवस्थापन का पर्यवेक्षण राजपत्रित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराया जाए। रात्रि जोनल चेकिंग अधिकारी द्वारा उक्त संवेदनशील स्थानों की चेकिंग अवश्य की जाए तथा परिलक्षित कमियों का चेकिंग रजिस्टर में उल्लेख करते हुए सुधारात्मक उपाय भी समायोजित किया जाए।
- रात्रिकालीन चलने वाली बसों की चेकिंग एवं यथा सम्भव सचल पुलिस दस्तों की व्यवस्था की जाए।
- रेलवे स्टेशन के बाहर, बस अड्डो, माल, भीड-भाड वाले स्थानों पर पुलिस कर्मियों की डियूटी लगाकर संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी सुनिश्चित करायी जाए।
- भिन्न-भिन्न समय पर स्थान परिवर्तित करते हुए संदिग्ध वाहन एवं व्यक्तियों की चेकिंग करायी जाए। संदिग्ध वाहन एवं व्यक्तियों की भौतिक रूप से तलाशी करायी जाए।

उपरोक्त निर्देशों के क्रम में अपने-अपने कमिश्नरेट/जनपद में एक गोष्ठी आयोजित कर अपने अधीनस्थों को इन निर्देशों से भली-भाँति अवगत कराकर अनुपालन करायें। इन निर्देशों में किसी भी स्तर पर शिथिलता/लापरवाही न बरती जाय।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना/कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(विजय कुमार)

1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विशेष पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था/अपराध, उत्तर प्रदेश।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, डायल-112, उत्तर प्रदेश।
5. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।